"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014— श्रावण 1, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 (श्रावण 1, शक 1936)

क्रमांक-8121/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) जो बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2014)

भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम (1927 का सं. 16) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाय.

धारा 26 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 33 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 51 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 52 का संशोधन.

6. (1) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आरक्षित वन और संरक्षित वन या वन उपज के संबंध में कोई वन अपराध किया गया है, तो वन उपज और ऐसे अपराध करने में प्रयुक्त समस्त औजार, नाव, यान, रस्सी, जंजीर या किसी अन्य वस्तु को किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जा सकेगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"(6) अभिगृहीत सम्पत्ति, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक या उसके द्वारा "स्वप्रेरणा" से कार्रवाई प्रारंभ करने की कालावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा 52-क के अधीन यथाविहित अभिरक्षा में बनी रहेगी.

(7) जहां मामले पर अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी, अभिग्रहण या अन्वेषण में स्वयं शामिल है, वहां अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के संचालन के लिये उसी श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को मामला अंतरित कर सकेगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 52-क की उप-धारा (2) तथा (6) में, शब्द "अधिहरण के आदेश" के स्थान पर, क्रमश: शब्द "प्राधिकृत अधिकारी के आदेश" प्रतिस्थापित किया जाये. — **धारा 52क का संशोधन.**

8. मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- — **धारा 53 का संशोधन.**

"**53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.**-रेंजर से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत की है, उसको (इस प्रकार अभिगृहीत संपत्ति को) धारा 52 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो उस अपराध का जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो, जब ऐसा अपेक्षित हो, पेश करने हेतु एवं ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित ऐसी संपत्ति के मूल्य के बराबर की ऐसी रकम की, ऐसे प्ररुप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रतिभूति का उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर, निर्मुक्त कर सकेगा".

9. मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द "वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा" के स्थान पर, शब्द "वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाये. — **धारा 63 का संशोधन.**

10. मूल अधिनियम की धारा 66 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :- — **धारा 66-क का अन्त:स्थापन.**

"**66-क. अपराध का प्रयत्न या दुष्प्रेरण.**-कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उपबंधों या नियमों का उल्लंघन किया है."

11. मूल अधिनियम की धारा 68 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- — **धारा 68 का संशोधन.**

"**68. अपराधों का प्रशमन करने की शक्ति.**-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वन अधिकारी को सशक्त कर सकेगी, कि वह-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या धारा 63 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न कोई वन अपराध किया गया है, उस अपराध के लिए, जिसके बारे में यह संदेह है कि उसने ऐसा अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिगृहीत करे ; और

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होने के कारण अभिगृहीत कर ली गई है, तब प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण का आदेश पारित किए जाने के पूर्व ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य का संदाय कर दिये जाने पर, किसी भी समय उसे निर्मुक्त करे.

(2) ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का संदाय किए जाने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, उन्मोचित कर दिया जाएगा, और अभिगृहीत की गई सम्पत्ति, यदि कोई हो, निर्मुक्त कर दी जायेगी तथा ऐसे व्यक्ति या ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी.

(3) कोई भी वन अधिकारी, इस धारा के अधीन तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक कि वह रेंजर की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का वन अधिकारी नहीं है, और उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर के रूप में प्रतिगृहीत धन की राशि किसी भी मामले में वन उपज के मूल्य के दो गुने से कम नहीं होगी :

परन्तु ऐसी वन उपज के मामले में जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, और जो सरकार की संपत्ति नहीं है या ऐसी वन उपज के मामले में जिसका मूल्य एक हजार रुपये से कम है, तो संदिग्ध व्यक्ति को उन्मोचित किया जा सकेगा और अभिगृहीत की गई संपत्ति, (वन उपज से भिन्न) यदि कोई है, दस हजार रुपये की राशि के संदाय पर या अभिगृहीत संपत्ति के मूल्य पर, जो भी कम हो, निर्मुक्त की जा सकेगी. अभिगृहीत वन उपज केवल तभी निर्मुक्त की जा सकेगी यदि वह यथास्थिति, सरकार की संपत्ति नहीं है या उसके मूल्य का संदाय कर दिया जाता है".

धारा 71 का संशोधन. 12. मूल अधिनियम की धारा 71 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"71. **इस अधिनियम के अधीन नियत जुर्माने को परिवर्तित करने की शक्ति.**- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं. 1) की धारा 12 के अधीन नियत जुर्माने के बदले में, इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिबद्ध किए गए प्रत्येक पशु के लिए ऐसा जुर्माना उद्गृहीत किया जाएगा जैसा कि वह उचित समझे, किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :-

प्रत्येक हाथी के लिए	एक हजार रुपए,
प्रत्येक ऊंट के लिए	दो सौ पचास रुपए,
प्रत्येक भैंस के लिए	एक सौ रुपए,
प्रत्येक गौवंश, गधे, सुअर, मेढ़े, मेढ़ी, भेड़, मेमने, बकरी या उसके मेमनों या अन्य पशु के लिए.	पचास रुपए,

परन्तु परिबद्धता की कालावधि के दौरान ऐसे पशु के रखरखाव का खर्च वन मण्डलाधिकारी द्वारा जुर्माने के अतिरिक्त यथा निर्धारित की गई प्रचलित दरों पर वसूली योग्य होगी."

धारा 77 का संशोधन. 13. मूल अधिनियम की धारा 77 में, शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की विभिन्न धाराओं में दंड की सीमा, अपराधों का प्रमशन तथा अपराधी से वसूल की जाने वाली मुआवजे की राशि को वर्ष 1965 से पुनरीक्षित नहीं किया गया है, जबकि इस अवधि में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वनों पर कई गुना दबाव बढ़ा है. काष्ठ की कीमत कई गुना बढ़ जाने के कारण, वन अपराध की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है. इसलिये बढ़ते वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने हेतु नवीन प्रावधानों के अन्तःस्थापन के साथ-साथ वर्तमान प्रावधानों का संशोधन भी आवश्यक है. वन अपराधों की वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वन अपराधों के प्रयास अथवा दुष्प्रेरण के लिए वर्तमान अधिनियम में दंड का विशिष्ट प्रावधान बनाया जाना है.

अत: जहां तक भारतीय वन अधिनियम, छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, संबंधित है, इसका संशोधन उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 19 जुलाई, 2014

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-68 में वन अपराधों को प्रमशन करने की शक्ति का व्याख्यान किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

(क) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या 63 में विनिर्दिष्ट से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, उस अपराध के लिये जिसके बारे में सन्देह है कि उसने अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिग्रहीत कर ले, और

(ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिग्रहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य के दिये जाने पर उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दे.

(2) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति ऐसी धनराशि या मूल्य या दोनों के दे दिये जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है उन्मोचित कर दिया जायेगा और यदि सम्पत्ति (यदि कोई हो) जो अभिग्रहीत की गई है निर्मुक्त कर दी जावेगी तथा ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी.

(3) इस धारा के अधीन किसी वन अधिकारी को उस दशा में ही शक्ति प्रदान की जावेगी जबकि वह वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी नहीं है और कम से कम सौ रुपये मासिक वेतन पाता है और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर की राशि किसी भी रूप में [पांच सौ रुपये] से अधिक नहीं है.

[(1) राज्य शासन धारा 68 के अंतर्गत वन अपराधों का प्रमशन (Compound) करने के लिये निम्न प्राधिकारियों को प्राधिकृत करती है.

(i) समस्त कलेक्टर, एकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार

(ii) समस्त वन संरक्षक उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक तथा वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल जिनका मासिक वेतन 100/- रुपये से कम न हो तो तथा उसकी सेवा वन क्षेत्रपाल के रूप में दस वर्ष से कम न हो :

परन्तु -

(अ) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपराध के संबंध में अधिकार का उपयोग केवल कलेक्टर, वन संरक्षक या वन मंडल के प्रभारी ही कर सकेंगे.

(ब) वन क्षेत्रपाल अधिकार का उपयोग तब ही कर पावेंगे जब उनको वन संरक्षक द्वारा इस हेतु विशेष रूप से अधिकृत किया जावे.

(2) इस प्रकार प्रतिकर के रूप में निर्धारित राशि पुनरीक्षण में निम्नानुसार अधिकारियों द्वारा घटाई जा सकेगी -

(अ) जिलाध्यक्ष द्वारा, यदि रूल 1 की धारा (i) में निर्धारित करने वाला अधिकारी पद में जिलाध्यक्ष से निम्न हों.

(ब) वन संरक्षक द्वारा, यदि राशि का निर्धारण करने वाला अधिकारी वन मण्डल का प्रभारी अधिकारी हो.

(स) वन मण्डल के प्रभारी अधिकारी द्वारा यदि राशि का निर्धारण उस अधिकारी द्वारा किया गया हो जो उसके अधीन हो.]

संशोधन की आवश्यकता -

यह धारा 68 की उपधारा-3 के अंतर्गत वन अपराधों का प्रशमन के लिए वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) से अनिम्न स्तर के अधिकारी को सशक्त किया गया है. साथ में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त अधिकारी "कम से कम 100 रु. मासिक वेतन पाता हो". वर्तमान में वनक्षेत्रपाल का वेतन इससे कहीं अधिक है. अत: यह पंक्ति को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है. साथ ही वन अपराध के प्रशमन के लिए यह प्रावधान है कि "प्रतिकर की राशि किसी भी रूप में 500 (पांच सौ) रु. से अधिक नहीं होगी." वर्तमान में काष्ठ एवं अन्य वनोपज के मूल्य में काफी वृद्धि हो चुकी है. अत: वन अपराधों का प्रशमन हेतु रु. 500 की सीमा बांधना युक्तियुक्त नहीं है. अत: प्रस्तावित संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि "प्रतिकर की राशि जप्त वनोपज के मूल्य से दो गुने से कम नहीं होगी."

वन अपराध जो गंभीर स्वरूप के नहीं है ; उन प्रकरणों में निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तावित है -

2/- "ऐसे वन अपराध जिसमें जप्त संपत्ति का मूल्य रु. 1000 से कम है अथवा जो वनोपज सरकार की संपत्ति नहीं है" के प्रकरण में प्रतिकर की राशि रु.10,000 किया जाना संशोधन में प्रस्तावित है. छोटे वन अपराध प्रकरणों का त्वरित निराकरण हेतु यह व्यवस्था किया जाना आवश्यक है.

3/- यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय वन अधिनियम की धारा-68 में उपरोक्तानुसार संशोधन मध्यप्रदेश राज्य में किया जा चुका है.

उपाबंध

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की जिन धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

क्र. (1)	धारा (2)	वर्तमान प्रावधान (3)
1.	**धारा 26 की उपधारा (1)**	**कोई व्यक्ति जो -** (क)(A) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध कोई नई कटाई, सफाई करेगा, या (ख)(B) आरक्षित वन में आग लगावेगा, या राज्य सरकार द्वारा बनाये किन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलायेगा या जलते छोड़ देगा जिससे ऐसे वन संकटापन्न हो जावे, या जो आरक्षित वन में (ग)(C) ऐसी ऋतुओं में, के सिवाय जिन्हें वन अधिकारी इस निमित्त अधिसूचित करे, कोई आग जलावेगा, रखेगा या ले जावेगा. (घ)(D) पशुओं का अतिचार करेगा, या पशु चरायेगा या पशुओं के अतिचार करने की अनुमति देगा. (ङ)(E) किसी वृक्ष को गिराने या काटने या घसीटने से ले जाने में लापरवाही से वन को हानि पहुँचाएगा. (च)(F) किसी वृक्ष को काटकर गिराता है, उसके चारों तरफ गोद-गोद कर घेरा बनाता है, छटाई काट-छांट करता है, उसे छेदता है या उसे जलाता है या छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा या उसे अन्य प्रकार से हानि पहुँचाता है. (छ)(G) पत्थर की खुदाई करेगा चूना अथवा लकड़ी का कोयला फूंकेगा, जलाएगा या किसी विनिर्माण की प्रक्रिया में वनोपज का संग्रहण या किसी वनोपज को हटाएगा. (ज)(H) खेती या अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि को साफ करेगा या भूमि तोड़ेगा. (झ)(I) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछाएगा, या (ञ)(J) ऐसी किसी क्षेत्र में जहां हाथी परिक्षण नियम, 1879 (1879 का 6) प्रवृत्त नहीं है, इस प्रकार बनाये किन्हीं नियमों के उल्लंघन में हाथियों का वध करेगा या उन्हें पकड़ेगा. **यह वन को नुकसान पहुंचाने के कारण, ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना सिद्धदोष करने वाला न्यायालय निर्दिष्ट करे, ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा या जुमनि से जो एक हजार रुपया तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा.**

क्र. (1)	धारा (2)	वर्तमान प्रावधान (3)
2.	धारा 33 की उपधारा (1)	(एच) धारा 32 के अधीन बनाये गये किसी नियम का अतिलंघन करता है, तो वह दण्डनीय होगा जिसकी कारावास की अवधि एक वर्ष या जुर्माने सहित जिसकी सीमा एक हजार रुपये तक हो सकती है या दोनों (सजायें) हो सकती है.
3.	धारा 51 की उपधारा (2)	(2) '[राज्य शासन] इस धारा के अधीन बने किन्हीं नियमों के उल्लंघन के रूप में शास्तियों के रूप में ऐसी अवधि का कारावास जो (1 वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थ दण्ड जो एक हजार रुपये तक) या दोनों विहित कर सकेगी.
4.	धारा 52 की उपधारा (1)	जब यह विश्वास करने का कारण है किसी वन उपज के बारे में वनविषयक अपराध किया गया है, तब ऐसी उपज, समस्त औजारों, यानों, नावों, रस्सों या जंजीरों या किसी अन्य वस्तु सहित जिनका उपयोग ऐसे अपराधों को करने में किया गया है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहित की जा सकेगी.
5.	धारा 52 की उपधारा (5)	(5) उपधारा (3) के अधीन किन्हीं औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य किसी वस्तु के (जो अभिग्रहीत की गई इमारती लकड़ी या वन उपज से भिन्न हो) अधिहरण के लिये कोई आदेश नहीं किया जावेगा यदि उपधारा (4) के खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, "प्राधिकृत अधिकारी" के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का प्रयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना या यथास्थिति उसके नौकर या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि वन अपराध किए जाने के लिए उपरोक्त विषयों के प्रयोग के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्ण सावधानी/सतर्कता बरती गई थी.
6.	धारा 52-क की उपधारा (2)	(2) उपरोक्त धारा 1 में वर्णित "अपीलीय अधिकारी" जब कोई अपील उसके समक्ष प्रस्तुत न हो तब अधिहरण के आदेश 'की प्रति प्राप्त किये जाने की तारीख से 30 दिन के अन्दर "स्व प्रेरणा" से कार्यवाही कर सकेगा और उसकी सूचना, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका कि अपीलीय अधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश से प्रभावित होना संभाव्य है, दे सकेगा और अपील के ज्ञापन प्राप्त होने की दशा में वह अपील की सूचना उन व्यक्तियों को देगा और मामले के अभिलेख मंगा सकेगा : परन्तु अपील की औपचारिक सूचना, यथापूर्वोक्त अपीलार्थी, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी, और प्रतिकूलतः प्रभावित होने वाले किन्हीं व्यक्तियों में से उनको दिया जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना का अधित्यजन कर दें या जिसे अपील सुनवाई की तारीख "अपीलीय अधिकारी" द्वारा अन्य रीति से सूचित कर दी जावे.
7.	धारा 52-क की उपधारा (6)	अपील की या "स्वप्रेरणा" से की जाने वाली कार्यवाही की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को या ऐसी तारीख को जो सुनवाई स्थगित की जाने के पश्चात् निश्चित की गई हो, अपील अधिकारी, अभिलेख का परिशीलन करेगा, और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हों तो उनकी सुनवाई करेगा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अभिकर्ता या विधि व्यवसायी के मार्फत सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपान्तरित करने के आदेश पारित करने की कार्यवाही करेगा :

क्र. (1)	धारा (2)	वर्तमान प्रावधान (3)
		परन्तु यदि कोई अन्तरिम आदेश पारित करने के पूर्व, अपील प्राधिकारी, अपील या स्वप्रेरणा से की गई कार्यवाही के उचित निर्णय के लिये आवश्यक समझता है तो अतिरिक्त जॉच या तो स्वयं करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करावेगा, और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारार्थ उत्पन्न हो-निश्चयपूर्वक कहने या उससे इनकार करने के लिए, पक्षकारों को शपथ पत्र फाइल करने को अनुज्ञात कर सकेगा और तथ्यों का प्रमाण शपथ द्वारा दिये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा.
8.	धारा 53	रेंजर से अनिम्न पद श्रेणी वाला कोई वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने कोई औजार, नावें, छकड़ा, गाड़ियां, वाहन या पशु धारा 52 के अंतर्गत अभिग्रहीत (जप्त) किये है, उन्हें उनके स्वामी द्वारा ऐसे बन्ध-पत्र निष्पादित किये जाने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि यदि और जब मुझसे ऐसी अपेक्षा की जावेगी, तो और तब मैं इस प्रकार निर्मुक्त सम्पत्ति उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दूंगा जिसको उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है.
9.	धारा 63	जो व्यक्ति पब्लिक (Public) या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने या क्षति (injury) पहुंचाने या भारतीय दण्ड संहिता (क्र. 45/1860) में यथा परिभाषित सदोष लाभ के आशय से - (क) जानबूझकर किसी इमारती लकड़ी या खड़े वृक्ष पर लगे किसी ऐसे चिन्ह का कूटकरण करेगा जिसे वन अधिकारी यह उपदर्शित करने के लिये प्रयोग करते हैं कि ऐसी इमारती लकड़ी या वृक्ष सरकार की या किसी व्यक्ति की सम्पत्ति है, या उसे किसी व्यक्ति द्वारा विधित: काटा या हटाया जायेगा, या (ख) किसी वन अधिकारी या उसके निर्देश के अन्तर्गत किसी वृक्ष या इमारती लकड़ी पर लगाये किसी ऐसे चिन्ह को बदलेगा, विरूपित करेगा या मिटायेगा, या (ग) किसी वन या पड़त भूमि के जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं-सीमा चिन्हों को बदलेगा, हटाएगा, नष्ट करेगा या विद्रूप करेगा-वह दो वर्ष की अवधि तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.
10.	धारा 66	प्रत्येक वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी किसी वन विषयक अपराध के किये जाने को निवारित करेगा और उसे निवारित करने के प्रयोजनों के लिये हस्तक्षेप कर सकेगा.
11.	धारा 68	राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी वन अधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकेगी कि वह- (क) ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध ऐसा युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने धारा 62 या 63 में विनिर्दिष्ट से भिन्न कोई वन विषयक अपराध किया है, उस अपराध के लिये जिसके बारे में सन्देह है कि उसने अपराध किया है, प्रतिकर के रूप में कोई धनराशि प्रतिग्रहीत कर ले, और (ख) जब कोई सम्पत्ति अधिहरणीय होने के नाते अभिग्रहीत की गई है, तब ऐसे अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित उसके मूल्य के दिये जाने पर उस सम्पत्ति को निर्मुक्त कर दें.

क्र. (1)	धारा (2)	वर्तमान प्रावधान (3)
		(2) ऐसे अधिकारी के, यथास्थिति ऐसी धनराशि या मूल्य या दोनों के दे दिये जाने पर संदिग्ध व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है उन्मोचित कर दिया जायेगा और यदि सम्पत्ति (यदि कोई हो) जो अभिग्रहीत की गई है निर्मुक्त कर दी जावेगी तथा ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी. (3) इस धारा के अधीन किसी वन अधिकारी को उस दशा में ही शक्ति प्रदान की जावेगी जबकि वह वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) से अनिम्न पंक्ति का अधिकारी नहीं है और कम से कम सौ रुपये मासिक वेतन पाता है और उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिकर की राशि किसी भी रूप में [पांच सौ रुपये] से अधिक नहीं है.
12.	धारा 71	राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 12 के अधीन नियत किए गए जुर्माने के बदले इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिबद्ध प्रत्येक पशु के लिये ऐसा जुर्माना उद्ग्रहीत किया जावेगा जैसा वह ठीक समझती है किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :- (i) प्रत्येक हाथी के लिए .... **दस रुपया** (ii) भैंस या ऊंट के लिए .... **दो रुपया** (iii) प्रत्येक घोड़ा, खस्सी टट्टू बछेड़ा, बछेड़ी, खच्चर, सांड, बैल, गाय या बछड़ी .... **एक रुपया** (iv) प्रत्येक बछड़े, गधा, सुअर, मेढे, मेढी, मेमने, बकरी या उसके मेमने .... **पचास पैसे**
13.	धारा 77	इस अधिनियम के अधीन किसी नियम को जिसके उल्लंघन के लिये कोई विशेष शास्ति उपबन्धित नहीं है, भंग करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के कारावास से जो (छः मास) तक को होगा और जुर्माने से जो (एक हजार) रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.